(128)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3039–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–3–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक रीवा गिर्द जिला रीवा के प्रकरण कमांक 164/अ–12/2013–14.

कामनासिंह पत्नी स्व0 संतोष सिंह
निवासी ग्राम सलैया, तहसील मनगवां,
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

वंशपती तिवारी तनय श्री रामनिवास तिवारी
निवासी ग्राम पड़रा 333 तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री प्रदीप त्रिपाठी, अभिभाषक आवेदक
श्री डी0पी0 मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/07/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की 50 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक रीवा गिर्द जिला रीवा के पारित आदेश दिनांक 24–3–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष ग्राम खसरा कं0 535 रकवा 0.105 हेक्टेयर एवं 536 रकवा 0.028 हेक्टेयर स्थित ग्राम पड़रा 333 तहसील हुजूर जिला रीवा के सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 164/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24–3–2014 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की। राजस्व

निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 534/1 रकवा 0.110 हे0 स्थित मोहल्ला पड़रा–333 तहसील हुजूर जिला रीवा के पश्चिम तरफ आवेदिका की भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि स्थल पंचनामा प्रदर्श पी–2 में अनावेदक का कजा पटवारी नक्शे की लम्बाई–चौड़ाई से अधिक पाया गया लेकिन किस खसरा नंबर में से किसके स्वामित्व की भूमि में, किस दिशा में नक्शे से अधिक अनावेदक का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है, उल्लेख नहीं किया गया। यह भी तर्क किया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया कि जिस भूमि का सीमांकन किया जा रहा है। उस भूमि का नक्शे के आधार पर ही सीमांकन किया जायेगा न कि नक्शे के बाहर की भूमि का और यदि नक्शे से अधिक भूमि पर अनावेदक काबिज था तो यह उल्लेख करना आवश्यक था कि अनावेदक किसी भूमि के नक्शे में अनाधिकृत कब्जा किए हुए है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदिका ने भी अपनी भूमि का खसरा कं. 534/1 रकवा 0.110 हे0 भूमि का सीमांकन कराया जिस सीमांकन में अनावेदक का अनाधिकृत कब्जा पाया गया था। उक्त सीमांकन आदेश की निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो निरस्त की गई। आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरूद्ध सीमांकन के पश्चात संहिता की धारा 250 की कार्यवाही भी सक्षम न्यायालय में की गई थी। आवेदिका विधवा महिला है जिसके 3 छोटे–छोटे बच्चे हैं जिस कारण अनावेदक उसकी भूमि पर अनावेदक उसकी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये हुये है। अनावेदक द्वारा आवेदिका को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये सीमांकन कराया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना देने के उपरांत

विधिवत सीमांकन किया है जिसमें फील्डबुक बनाई है एवं स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया है। अतः इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह निर्विवादित है कि ग्राम पडरा जं0 नं0 333 पटवारी हल्का नं0 पडरा 26 की सर्वे कमांक 534/1 रकवा 0.110 हे0 की भूमिस्वामी आवेदिका है। आवेदिका द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय की थी। आवेदिका द्वारा स्वयं की भूमि का सीमांकन कराया था जो राजस्व निरीक्षक रीवा गिंद के प्रकरण कमांक 39/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22–4–13 के द्वारा पुष्टि हुई। राजस्व निरीक्षक के आदेश को अनावेदक द्वारा इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसके प्रकरण कमांक निग0 2885–तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 15–10–2013 के द्वारा अनावेदक की निगरानी निरस्त की जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन को उचित माना था। जहां तक इस प्रकरण में किये गये सीमांकन का प्रश्न है सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक के खसरे में अंकित रकवा 0.133 हे दर्शाया है तथा नक्शे में 0.101 है. दर्शाया है। जब खसरे में अंकित रकबे एवं नक्शे में अंकित रकबे में भिन्नता थी तब सर्वप्रथम अनावेदक को अपने नक्शे के रकबे में सुधार कराना चाहिए था तत्पश्चात उक्त भूमि का सीमांकन कराना चाहिए था। ऐसी स्थिति में पटवारी द्वारा भी रकबे की भिन्ना के बावजूद भी सीमांकन करने में त्रुटि की है। चूंकि पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन की पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई है इसलिए राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसा की दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका प्रश्नाधीन सीमांकन में सरहदी कास्तकार थी जिसे किसी प्रकार की सूचना दी जाना अभिलेख से परिलक्षित नहीं है। सभी सरहदी कास्ताकारों को सूचना देने के उपरांत ही सीमांकन किये जाने का प्रवधान भू–राजस्व संहिता में है। इस

कारण भी राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन को वैधानिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। राजस्व निरीक्षक रीवा गिर्द जिला रीवा के पारित आदेश दिनांक 24–3–14 विधिअनुकूल नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर